

ज्ञापना

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/2537

संलग्नक दिनांक: 03/08/2021

ज्ञापना का विषय:-


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (राज्यीय कार्यालय) और इन्डियन नई दिल्ली द्वारा पीछेका सत्र 2021-22 हेतु विधेयक सत्रीय तकनीकी शिक्षा समझौते को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 03/08/2021 को प्रसिद्ध कार्यालय में सम्बद्धता अधिनियम की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। अन्य सत्रीय पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने वाले का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सत्र 2021-22 हेतु निर्णय के अनुसार नई संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं संश्लेषण प्रदान किया जाता है।

राज्य का कोड एवं नाम : 2710-KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES, FAKRODIPUR, SULTANPUR			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/ई-सीटों/सीटों द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 20-आईआईटीआई/आईआईटीआई द्वारा निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2021-22 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों को सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।


 प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी
 दिनांक: 03/08/2021

समाज को कोई बड़ा काम सिखा देता है तथा बाहर बाहर के लोगों में भी समझाने द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभुति संकेत उत्पन्न किया जाता है। (समाज प्रोग्रेस संघीय संस्था को बननी होगी।)

- ✓ शिक्षण इन चारों ही बातों पर आधारित करने वाली संस्थाओं की संस्था प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रवेश परीक्षा द्वारा उत्तर देने के लिए अधीनस्थ प्रवेश परीक्षा से सुव्यवस्थित प्रवेश होने के बाद पीएचडी/आईएच से अनुशासन प्राप्त कर परिष्कृत संस्थाओं को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (व्यवस्थित) के माध्यम से उत्तर संस्था सह परीक्षा प्रवेश) अनुशासन नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु विभिन्न नवीनता आंतरिक नियमों का अनुशासन प्रवेश उपलब्ध होगा।
- ✓ उत्तर को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, संस्था, संस्था-संस्था, उपलब्धता, उत्तर दिया जाने वाला सूचना, संस्थागत सूचना आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-परिष्कृत हेतु उत्तरों का आंतरिक उपलब्ध करने के साथ संस्था संस्था के संस्था में संस्था-आंतरिक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संघीय संस्थागत को उत्तरों देने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गए अभिलेख, भूमि-संस्था, आंतरिक उपलब्धता सूचना का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य संस्थागत के संस्था में उपलब्ध किया जाता है और परिष्कृत की। इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रमाण किसी अन्य संस्था के लिए कर रही है ही संस्था-संस्था की संस्थागत संस्था किने जाने की अनुशासन की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपलब्धता, उपलब्धता एवं अन्य संस्था-संस्था पीएचडी/आईएच/आईएच के संस्थागत उपलब्ध नहीं प्राप्त होता है तो संस्था को संस्थागत संस्था-संस्था कर दी जाएगी।
- ✓ उत्तरों की वही अनुशासन न लेये जाने अथवा संस्था की उत्तरों देने वाली की विधि में विद्यमान अनुशासनगत उपलब्धता की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृष्ठ सं- वाणिज्यपरिषद् समग्रदत्त/2021/3538-4809

दिनांक: 05/02/2021

प्रतिष्ठान-

प्रशासनिक निदेशक, KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES, FAREEDPUR, BULSHAMPUR

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

2021/2

सामाजिक
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या- प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2022/7517

तखनऊ: दिनांक- 30/08/2022

सम्बद्धता प्रमाण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/वार्मिले कानूनसित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद वार्षिक में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दा पर विचार करके सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्ये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2710-KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES		
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0पी0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0पी0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली-1962, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित आसनपदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष हेतु ₹0 30,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष हेतु ₹0- 45,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षों दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के लिये प्रत्येक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22,50,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले आसनपदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु जैसे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जैसे की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनादित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित आसनपदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिविद्यो/अधिविद्यो/आसनपदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा (उत्तर प्रदेश), संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों,





विधियों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एफआईसी/सीआई/पीसीआई/आई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाइयों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निगत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एफआईसी/सीआई/पीसीआई/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/आयोग को उभलाना करना होगा अन्यथा उत्ते प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश। अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समक-समय पर निर्मित राष्ट्रीयतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठे भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उभलाना करना होगा।
- ✓ संस्था को डिप्लोमा/विद्यालय हेतु उम्मीदवारों का आहरण उपलब्ध कराने के साथ ही रोकने के सम्बन्ध में समस्त सामग्रीक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ जसा यह सुनिश्चित ही है कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उभलाना कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त संसाधनों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तबकात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के बीचक स्थतीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा एफआईसी/सीआई/पीसीआई/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता बतों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुजातनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(एफआईसी/सीआई)

सचिव

संज्ञा- प्राविधिक/परिषद संम्बद्धता/2022/2818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES


(एफआईसी/सीआई)

सचिव



2022

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

संख्या/दिनांक: 12-08-2023

: कार्यालय भ्रम :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या 2023-24 हेतु पूर्व से संघारित/रिजिस्ट्रींग राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा शिष्ट मण निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 2710-KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 311/16-3090/02/2022 दिनांक 18 नवंबर 2022 द्वारा पूर्व से संघारित संस्था संस्थानों को अधिसूचना संख्या 2023-24 के तहत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत निर्माण के अधीन सम्बद्धता निर्मित की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृक के अनुसूचित संस्थान में समान शिक्षण (धर्म, भाषा, लिंग उपकरण) अर्थात् उपलब्ध है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम/संख्या 1992, विनियम/संख्या 2000, विनियम/संख्या 2018 तथा संसद-समय पर निर्मित कानून/देशीय का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिलिपि जमा/उपलब्ध हो शकत किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त/संस्था से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त प्रश्नों पर संसद द्वारा निर्मित किये जाने वाले कानून/देशीय प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौन-कौन-सी प्राविधिक समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु शीर्ष का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो शीर्ष की नवीनीकरण द्वे लागू होगी।
- ✓ सत्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अखंडित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्मित कानून/देशीय का अनुसार विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।



de

12
12/08/2023
12/08/2023

- ✓ सरकार द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विहितनियमों/अधिकारों/अवकाशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्रभाग एवं शिक्षा विभागों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि सरकार का अग्रिम भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद/एन सी ई आर इत्यादि, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तिका सत्यापन का होगा और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समय बर्बाद नहोई जायेगा। (प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा पेशवर बाद के संबंध में या: न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निमित्त किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित सत्यापन कार्य बर्बाद कर दिये जायेंगे।)
- ✓ समझौते को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कायमसिद्धि प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद/एन सी ई आर इत्यादि, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपरोक्त पालना होगा अन्यथा उक्त प्रस्ताव की अनुमति इत्यादि नहीं की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग हेतु समय-समय पर निर्मित नवीनतम आच्छादन नियमों को अनुमोदन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट एवं प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा एवं संस्था की वेबसाइट पर संस्था की वेबसाइट पर ही सत्यापन, प्रवेश, मूल्यांकन, प्रवेश किया जाने वाला वास्तु, आच्छादन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान प्रविष्टि हेतु उपरोक्त सत्यापन उपरोक्त कराने के लिये प्रेषित सूचनाएं के सम्बंध में प्रत्येक आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ वास्तु एवं सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रशासिकाधिकारिता प्रत्येक वर्ष को प्रदान करने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपाय/समाधान एवं प्रयोग, भूमि-भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रायश्चित्त के संबंध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को बतानी आवश्यक होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है जो वास्तव में संस्था की सम्पत्ति/समाधान नियम प्रदान की आवश्यकता की प्राप्ति।
- ✓ उच्च प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता। दिनांक 2009 के प्राथमिक शिक्षा परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, अर्थी और कर्मचार को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिनियम में रखेगी।
- ✓ संस्था के अध्यक्ष स्वयंसेवक नियुक्ति के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगवाता, उपकरण एवं अन्य सामग्री/संसाधन/समाधान/परिषद के सम्बन्धित उपकरण, भू-भाग प्रदान है तो संस्था की सम्बन्धित समाधान एवं ले करनी।
- ✓ संबद्धता सूची का अनुमोदन व लिये जाने अथवा सूची का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमोदन/सत्यापन कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं/स- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

12-09-2023